"परन्तु किसी भी दस्तावेज में किसी व्यक्ति की जाति तथा धर्म, किसी वर्तमान विधि के उपबन्धों की अपेक्षाओं के अनुसार दिखाए जाते रहेंगे।"

तो इस बिल को लाने के पीछे जो भावना थी, जो मकसद था उसको देखना चाहिए। आज जो चुनाव होते हैं उसमें कुछ लोग जातिवाद और सम्प्रदायवाद के आधार पर लड़ते हैं। इसको रोकने के लिए भी कदम उठाये जाने चाहिए। यह आवश्यक है कि लोग जातिवाद और सम्प्रदायवाद को न फैलायें। मैं समझता हूं चुनाव में इस बिना पर अगर कोई प्रचार करता है तो उसको भी आफेन्स माना जाना चाहिए। जातिवाद और सम्प्रदायवाद के आधार पर चुनाव प्रचार को रोका जाना चाहिए।

यह बिल जो यहां पर लाया गया है इसकी भावना को पूरा करने के लिए मैं समझता हूं हमारे संविधान में पूरी व्यवस्था है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपुल्स हैं, जो निदेशक सिद्धान्त हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगी। मैं बाद में बोल सकता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वक्तव्य के बारे में प्रैस सूचना सही थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कल आपने कुछ ऐसी बातों के लिए, जिसके बारे में पहले ही स्पष्ट रूप से निर्णय लिया जा चुका था, काफी देर तक शोर मचाया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : तो भी यह एक अच्छी प्रथा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दूसरे सदन में पहले ही यह घोषणा की जा चुकी थी कि प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगी।

श्रीलंका की स्थिति के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, पिछले हफ्ते मैंने यह बताया था कि श्रीलंका के राष्ट्रपति श्रीलंका की स्थिति पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए अपना एक निजी प्रतिनिधि नई दिल्ली भेज रहे हैं। उनके विशेष दूत श्री एच० डब्ल्यू० जयवर्धन आजकल नई दिल्ली में हैं। उन्होंने मेरे साथ और विदेश मंत्री जी के साथ भी बातचीत की। हमने परस्पर लाभदायक विचार-विमर्श किया।

मैंने श्री जयवर्धन को बताया कि श्रीलंका की हाल की घटनाओं को लेकर और उनके कारण वहां लोगों को जो पीड़ा पहुंची है, उसकी ओर से हमारी संसद और भारत के लोग बहुत चिन्तित हैं। हमने ऐसी हिंसा, हत्याओं की और भेदभाव की हमेशा निंदा की है, खासतौर पर तब जबकि इसके शिकार लोगों के पास अपने बचाव का कोई साधन न हो।

इस मौके पर मैंने श्री जयवर्धन को पुनः यह आश्वासन भी दिया कि भारत श्रीलंका की स्वाधीनता, एकता और अखंडता का पक्षधर है। भारत दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में दखल नहीं देता लेकिन दोनों देशों के लोगों के बीच जो पुराने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा ऐसे दूसरे सम्बन्ध हैं, खासतौर पर श्रीलंका के तमिल समुदाय और हमारे बीच, उनकी वजह से वहां की ऐसी घटनाओं से भारत प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता।

श्री जयवर्धन ने हमें बताया कि श्रीलंका की स्थिति बहुत तेजी से सामान्य हो रही है। उनके मुताबिक शरणार्थी शिविरों में लोगों की संख्या 80,000 से घटकर 30,000 रह गई है। उन्होंने बताया कि अधिकांश लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। फिर भी सरकार के सामने अब भी ऐसे हजारों लोगों की समस्या रहेगी जो बेघर हैं। श्रीलंका के प्राधिकारी उनकी राहत और पुनर्वास के लिए प्रबन्ध कर रहे हैं और इस काम के लिए सरकार ने एक विशेष एजेन्सी बना ली है।

श्रीलंका में रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों और भारतीय मूल के लोगों को जो घोर कष्ट हुआ उसके कारण हमारे देश के सभी वर्गों के लोगों में अनायास सहानुभूति पैदा हो गई। पिछले कुछ दिनों में हमारे संसद में इस भावना को बहुत मर्मस्पर्शी रूप में अभिव्यक्ति मिली है। हमारे सामने तात्कालिक काम यह है कि इन दंगों में जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है उनकी मदद की जाये। भारत सरकार प्रभावित व्यक्तियों को सहायता पहुंचाने के लिए जो कुछ कर सकती है, कर रही है। लेकिन यह एक ऐसा बड़ा काम है जिसे सरकार अकेले पूरा नहीं कर सकती, इसमें जनता का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने "श्रीलंका राहत-कोष" बनाने का और अपनी अध्यक्षता में एक "श्रीलंका राहत-कोष समिति" गठित करने का निश्चय किया है। यह कोष प्रधान मंत्री सहायता कोष के एक करोड़ भारतीय रुपये के अंशदान से शुरू किया जा रहा है। मैं अपने देश के नागरिकों से और उन नागरिकों से भी जो देश के बाहर रह रहे हैं, अपील करती हूं कि वे उदारतापूर्वक इस कोष में धन दें और इस तरह ठोस और साकार रूप में इस विवेकहीन हिंसा से पीड़ित लोगों के प्रति अपनी चिंता और सहानुभूति व्यक्त करें।

महोदय, क्षतिग्रस्त और परित्यक्त संपत्ति को कानूनन सरकार के अधीन रखने के सम्बन्ध में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में श्री जयवर्धन ने बताया कि यह कदम प्रभावित व्यक्तियों के हित में ही उठाया गया है ताकि उन्हें निराश होकर अपनी संपत्ति न बेचनी पड़े, कोई उस पर गैर-कानूनी कब्जा न कर ले या उसका ऐसा ही कोई दुरुपयोग न किया जाए।

मैंने श्री जयवर्धन से कहा कि तात्कालिक स्थिति से निबटने के लिए तो कदम उठाये जा रहे हैं लेकिन यह भी जरूरी है कि तमिल अल्पसंख्यकों की वैध आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए और उनकी सुरक्षा का सुनिश्चय करने का कोई स्थायी समाधान खोजने की प्रक्रिया भी तत्काल शुरू की जाए।

श्री जयवर्धन ने मुझे यह जानकारी दी है :

श्रीलंका के राष्ट्रपति गोल मेज सम्मेलन के समक्ष, जो हो नहीं सका, कुछ प्रस्ताव रखना चाहते थे जिनमें ये प्रस्ताव भी शामिल थे :—(क) जिला विकास परिषदों से सम्बद्ध कानूनों का पूर्ण

कार्यान्वयन; (ख) संविधान की व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रभाषा के रूप में तमिल का प्रयोग; (ग) हिंसा-त्याग की शर्त पर आम माफी के लिए बातचीत शुरू करना; (घ) आतंकवादी हिंसा समाप्त कर देने पर जाफना में सशस्त्र सेना की सांकेय भूमिका समाप्त करना; और (ङ) आतंकवाद को रोकने से सम्बद्ध अधिनियम को समाप्त करना। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि :

अगर एक अलग राज्य का विचार त्याग दिया जाए तो राष्ट्रपति उन बंदियों की रिहाई के बारे में भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं लेकिन जिन्हें अभी सजा नहीं सुनाई गई है या जिन पर मुकदमा चलाया जाना है और साथ ही वे यू० एन० पी० के 1977 के घोषणा-पत्र में सम्मिलित किसी भी अन्य आश्वासन को कार्य-रूप देने के लिए तैयार हैं। मैं सदस्यों को भी इस जानकारी से अवगत करा देना चाहती हूं।

मैंने अपना यह विचार व्यक्त किया था कि सम्भव है तमिल समुदाय की आकांक्षाएं इन प्रस्तावों से भी पूरी न होती हों। श्री जयवर्धन ने मुझे बताया कि श्रीलंका की सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है जिससे तमिल अल्पसंख्यकों को संयुक्त श्रीलंका की रूपरेखा के अंतर्गत देश के मामलों में यथोचित हिस्सा मिल सके। मैंने अपना यह विचार उनके समक्ष व्यक्त किया कि इस व्यापक आधार पर सरकार और तमिल समुदाय के बीच बातचीत करना लाभप्रद होगा और समाधान तो बातचीत से ही निकालना होगा। मैंने कहा कि उन्हें अगर किसी तरह से मेरी सेवा की जरूरत हो तो मैं इसके लिए तत्पर हूं। दोनों देशों के बीच परम्परागत मित्रता के सन्दर्भ में मेरे इस प्रस्ताव की श्री जयवर्धन ने सराहना की। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उनके राष्ट्रपति ने मेरे इस प्रस्ताव का स्वागत किया है।

इस वक्त जरूरत इस बात की है कि तनाव कम करके विश्वास स्थापित किया जाए। मुझे उम्मीद है कि सम्बद्ध सभी पक्ष अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए सद्भावना और पारस्परिक विश्वास के वातावरण में गोल मेज पर बैठने को तत्पर होंगे।

श्री जयवर्धन के माध्यम से श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हमारी संसद के एक सर्वदलीय प्रतिनिधि-मंडल को श्रीलंका की यात्रा पर भेजने का निमंत्रण दिया है।

सदन इस बात से सहमत होगा कि श्रीलंका की घटनाओं के कारण जो स्थिति बनी है, वह गम्भीर और बहुत जटिल है और उससे बहुत सावधानी से निपटने की जरूरत है। सरकार इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई कर रही है और श्रीलंका की सरकार तथा अन्य सम्बद्ध लोगों से निकट सम्पर्क बनाए रहेगी। मैं सदन से और देश के सभी वर्गों के लोगों से यह अपील करती हूं कि वे कोई ऐसा कदम न उठायें जिसकी वजह से श्रीलंका में तमिलों की समस्या और अधिक बढ़ जाए, उन्हें और अधिक मुसीबतों का सामना करना पड़े और साथ ही राहत और पुनर्वास की दिशा में तत्काल कार्रवाई करने और समस्या का स्थायी समाधान खोजने के काम में सहायता देने का हमारा काम और अधिक मुश्किल बन जाए।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए।

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : महोदय, इस संकल्प का क्या हुआ ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, राज्य सभा में भी इस पर चर्चा होगी। तो फिर इस सदन में क्यों नहीं हो सकती ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव मेरे पास है। हम इस पर मंगलवार को कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : राज्य सभा इस पर मंगलवार को चर्चा करने जा रही है। कार्य मंत्रणा समिति के लिए समय कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने हमेशा कहा है और यदि पूरा सदन कहता है···

श्री के० मायातेवर : एक संसदीय दल श्रीलंका का दौरा करेगा। इसलिए महोदय, क्या हमें इस पर अब चर्चा नहीं करनी चाहिए ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने सदन को आमन्त्रण दे दिया है। अब यह निर्णय लेना अध्यक्ष और सदन का काम है।

श्री के० मायातेवर : यदि ऐसा है तो हम इस पर चर्चा क्यों नहीं करते ?

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको स्पष्टीकरण उस समय पूछने दूंगा जब हम मंगलवार की बैठक में भाग लेंगे और इस पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करेंगे कि हमें और क्या कदम उठाने चाहिएं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह बैठक कब है? राज्य सभा इस पर मंगलवार को चर्चा कर रही है। यदि इस पर मंगलवार के बाद चर्चा हुई तब तक तो प्रधान मंत्री का वक्तव्य पुराना पड़ जायेगा। इस बारे में और भी प्रगति होगी।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी करने में भी तो समय लगता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तो फिर इसे मंगलवार के लिए ही निर्धारित क्यों नहीं कर देते ?

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे। इस पर कार्य मंत्रणा समिति द्वारा विचार किया जाना है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सोमवार को नहीं कर सकते, तो मंगलवार को बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग कर लें।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या चर्चा प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर होगी या उस प्रस्ताव पर होगी जो हमने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो आप पर निर्भर हैं, मैंने यह कहा है कि मेरे पास प्रधान मंत्री के वक्तव्य पर चर्चा के संबंध में एक प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव को भी मैं कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष रखूंगा और आप इस पर जो चाहे निर्णय करें। मैं तो उनके निर्णय से बंधा हुआ हूं। इसमें कोई

दिक्कत नहीं है। आप इस आमंत्रित किए गए संसदीय दल पर भी चर्चा कर सकते हैं। माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि इस बारे में सदन जो चाहे निर्णय ले सकता है। मैं आपकी बात सुनूंगा। कृपया अब इस बारे में कोई स्पष्टीकरण न मांगिए। स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति मैं बाद में दूंगा।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं एक छोटा-सा स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मैं नियमों से बंधा हुआ हूं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मेरे पास कुछ जानकारी है···

अध्यक्ष महोदय : उनके पास आपसे भी अधिक जानकारी हो सकती है···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जब वक्तव्य पढ़ा गया था तो क्या इसका कोई पृष्ठ छोड़ दिया गया था या पूरे सारे पृष्ठ पढ़े गए हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोनय : इस समय किसी भी प्रश्न की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब कोई स्पष्टीकरण नहीं होगा। कुछ भी नहीं पूछा जायेगा। श्री हाल्दर, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा क्योंकि मैं नियमों का पालन कर रहा हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या श्री जयवर्धन अभी तक यहां हैं? क्या वे यहां और ठहरेंगे?

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं आपको प्रश्न पूछने की अनुमति देता हूं तो मुझे अन्य सदस्यों को भी अनुमति देनी पड़ेगी।

श्री के० मायातेवर : आप नियम 349 आस्थगित कर सकते हैं···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : बहुत-सी बातें छोड़ दी गई हैं, धन इकट्ठा करने के अलावा कुछ भी सामने नहीं आया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं नियमों से बंधा हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा।

**कार्यवाही, वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री शास्त्री, मैंने आपको बोलने का समय दिया है···यदि उनमें शिष्टाचार है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री दण्डपाणि खड़े हुए ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सदन के माननीय सदस्य, कृपया मेरे साथ सहयोग करें। मैं क्या कर सकता हूं ? यदि मैं नियमानुसार नहीं चलता, तो भी मुझे दोष दिया जाता है। यदि नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होता है तो मैं क्या करूं ? मैंने इस पर चर्चा के लिए आपको नहीं रोका। परन्तु आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने आपको सर्वशक्तिमान भगवान समझते हैं ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। यह सब कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस मामले पर तमिलनाडु के लोग बहुत चिंतित हैं इसलिए हमें इस पर जल्दी ध्यान देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है मंगलवार को इस पर चर्चा होगी। आप अपने घर पर कार्य मंत्रणा समिति की आपात कालीन बैठक बुला सकते हैं। आप उन्हें रात्रि भोज भी दे सकते हैं ।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के कहने पर कोई आपातकालीन बैठक नहीं होगी ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तो ठीक है, आपने अपने घर पर रात्रि भोज की बैठक बुला लीजिये। परन्तु सही बात यह है कि श्री दण्डपाणि का उचित मुद्दा है। प्रधान मंत्री ने वक्तव्य दे दिया है। वह उस पर कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए आप इस पर जल्दी चर्चा करवाइये ।

अध्यक्ष महोदय : जल्दी-से-जल्दी मंगलवार है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है, आप मंगलवार को ही चर्चा का दिन रख लीजिए ।

श्री के० मायातेवर : प्रश्न यह है कि तब तक कुछ भी हो सकता है ।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा । जो कुछ भी घटित हुआ है वह हो गया है। यह बहुत बुरी बात है। जो भी घटनाएं हुई हैं, हमने उनकी निंदा की है। इस पर पूरी चर्चा की है और मंगलवार को इस पर दुबारा चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंगलवार को हम यह जान पायेंगे कि श्री जयवर्धन ने वहां की स्थिति के बारे में प्रधान मंत्री को जो रिपोर्ट दी है क्या उसकी कोलम्बो में हमारा उच्चायुक्त भी पुष्टि करता है ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, विदेश मंत्री जी वहां गए हुए हैं। उन्होंने पहले ही आपको आश्वासन दिया है कि वे स्वयं सम्पर्क बनाये रखेंगे और सदन को सूचित करते रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोलम्बो में हमारे उच्चायुक्त शरणार्थियों की संख्या और इन सब बातों के बारे में पुष्टि करेंगे। हमें अपने उच्चायुक्त से प्राप्त सूचना का भी पता होना चाहिए। यह जानकारी तो श्री जयवर्धन के अनुसार है।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं।

श्री के० मायातेवर : वहां के हमारे उच्चायुक्त और महा कांसुले के अनुसार जानकारी क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : विदेश मंत्री महोदय, क्या मैं समझूं कि आपने समय-समय पर सदन को यह आश्वासन दिया है कि ज्यों-ज्यों आपको स्थिति की जानकारी मिलेगी त्यों-त्यों आप सदन को सूचित करते रहेंगे ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : बिल्कुल ऐसा ही है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार उन्होंने बार-बार सदन को आश्वासन दिया है। इससे अधिक क्या हो सकता है।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं···

अध्यक्ष महोदय : दण्डपाणि जी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं असहाय हूं। मुझे अफसोस है जिस तरह से आप चाहते हैं मैं वैसा कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री सी० टी० दण्डपाणि : महोदय, मैं इस वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हूं। इसके विरोध में मैं सदन से बाहर जा रहा हूं।

(तत्पश्चात श्री सी० टी० दण्डपाणि और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठ कर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृतांत में शामिल नहीं किया जाएगा। **अब, श्री** रामावतार शास्त्री।

(व्यवधान)*

जाति रहित तथा धर्म रहित समाज का निर्माण विधेयक—जारी

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, श्रीमती विद्या जी ने यह जो गैर-सरकारी विधेयक पेश किया है और जिस पर सदन में बहस चल रही है, मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन करते हुए मैं दो-तीन बातों की चर्चा करना आवश्यक समझता हूं।

श्रीमती विद्या जी ने इस तरह का विधेयक पेश करके प्रशंसनीय कार्य किया है। इस विधेयक के द्वारा इन्होंने मांग की है, अनुरोध किया है कि जाति सूचक और धर्म सूचक बातें फार्मों से हटाई जाएं। इस तरह की बातें बहुत सारे आवेदन पत्रों के कालमों में होती हैं धर्म या जाति से सम्बन्धित बातें हमारे देश के कोने-कोने में पूछी जाती हैं। इनको हटाया जाना चाहिए।

16.19 **[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए।]**

श्रीमती विद्या जी अंतरजातीय विवाहों की भी समर्थक हैं। मेरे खयाल से इनके परिवार के प्रायः सब लोगों ने अंतरजातीय विवाह किए हैं। खुद इनकी बड़ी बहन ने एक अनुसूचित जाति के लड़के के साथ अपना विवाह किया है। इनका विवाह भी अंतर्जातीय है। इस तरह का विधेयक पेश करना इनके अनुरूप ही है।

दूसरी बात यह है कि इनका पूरा परिवार अनीश्वरवादी है जो मुझे सबसे ज्यादा पसन्द है क्योंकि हम भी अनीश्वरवाद में विश्वास करते हैं। इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनके परिवार के सब लोग अनीश्वरवादी रहे हैं और अनीश्वरवाद का प्रचार करने के लिए इनके पिताजी ने एक केन्द्र भी स्थापित कर रखा है।

अब यह जाति और धर्म कितनी गड़बड़ पैदा करता है हमारी समाज में यह सबको मालूम है। हमारे डागा जी ने विधान की दुहाई दी है। विधान में ठीक ही कहा गया है कि हमारा देश धर्म-निरपेक्ष सिद्धान्तों पर चलेगा, देश की एकता को बनाए रखेगा और इसके रास्ते में जो भी रुकावटें आएंगी उन रुकावटों को दूर करेगा। जातपात का कालम रखना या यह पूछना कि तुम किस धर्म में विश्वास करते हो इससे हमारी एकता मजबूत नहीं होती, बल्कि कमजोर बनती है। पुराने जमाने में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों की रचना किसने की ? मनु जी ने की और उन्होंने मनु स्मृति के जरिये इस तरह की देश को तोड़ने वाली बात कहकर या ऊंच-नीच की भावना बढ़ाने वाली बात कहकर समाज का बड़ा अहित किया। अब हमें उस अहित को सुधारना है। सबसे जो नीचे है उनको प्रताड़ित करो, ऐसा कहकर उन्होंने समाज में शोषण की बुनियाद डाली। ऐसे तो पहले से भी वह बुनियाद पड़ चुकी थी लेकिन उन्होंने उसको और मजबूत किया और जातपात पैदा करने में उन्होंने सहायता की। इसको इस बिल के जरिये हमको तोड़ना चाहिए। यह ठीक है कि इस बिल

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।